फर्द अहकाम

[का]र्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीण्डर

जिला उदयपुर (राज0)

श्रीमती मीना .... विपक्षी .... बसंतीलाल

मुकदमा .... 88-188 .... पत्रावली संख्या .... 13|23 .... सन् ....

[क्रमां]क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षरवादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
[..]05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 13 उपस्थित। प्रकरण में प्रति. सं. 2, 3, 4 की तरफ से वकालत-पत्र अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा. दी. का पेश कर प्रतिवादी सं. 5 से 13 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रतिवादी संख्या 5 से 13 के विरुद्ध वाद की डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 13 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रति. संख्या 5 से 13 के विरुद्ध वाद की डिक्री किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा काउन्टर क्लेम पर कोई कार्यवाही नहीं चाहकर नॉट प्रेस किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 13 के काउन्टर क्लेम को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। प्रकरण में वादी [...] से 4 द्वारा आपसी राजीनामा [...] आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा [...] पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद की डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया।	Mona (प्र. वादी), मुकेश (प्र. वादी) (अधि. प्र. 1), (प्र. प्रतिवादी 1), (अधि मुकेश आलोक), (प्र. सं. 2), शान्ता देवी प्रति. सं. 3, कमला देवी प्रति. सं. 4, [signature] (सुरेन्द्र कुमार चौबीसा) अधि. प्रति. 2, 3, 4, [signature] Pressed, [signature] प्रति. सं. 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जिला उदयपुर (राज0)

दिनांक	कार्यवाही विवरण

दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण मे पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में मूल-पुरुष केसरीमल पिता हजारीमल महाजन के नाम दर्ज थी। केसरीमल के पश्चात् उनके वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम विरासत का नामान्तरण खुला जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी सं. 3,4 के हक त्याग का विवरण होने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्रीमती दाखीबाई पत्नि केसरीमल के नाम दर्ज रेकर्ड हुई। वादीया द्वारा उक्त हकत्याग को फर्जी बनावटी का कथन कहकर वाद अन्तर्गत धारा 88-188 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वादीया एवं प्रतिवा[illegible] 1 से 4 के मध्य आपसी राजी[illegible] से राजीनामा प्रस्तुत किया गया [illegible] आराजी नं. 1502, 1503, 6486/1502 कु[illegible] किता 3 हे. 0.8300 हे. भूमि में वादीया के नाम दर्ज हिस्सा 44/765, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 44/765, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 44/765, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 44/765 को प्रतिवादी संख्या 2 सुनील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(कार्या)लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीण्डर

जिला उदयपुर (राज0)

श्रीमती मीना .... विपक्षी .... बसंतीलाल

(मु)कदमा .... 88-188 .... पत्रावली संख्या .... 13/23 .... सन ....

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षरवादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
कुमार के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने व आराजी नं. 6485/1502 रकबा 0.5400 हे. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बसन्तीलाल के नाम दर्ज 133/295 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामें अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।	
—: आदेश :—	
परिणाम स्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा खैरोदा पटवार हल्का खैरोदा तहसील भीण्डर की आराजी नं. 1502, 1503, 6486/1502 कुल किता 3 रकबा 0.8300 हे. भूमि खातेदार वादीया के नाम दर्ज हिस्सा 44/765, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 44/765, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज हिस्सा 44/765, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज हिस्सा 44/765 को प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार पिता भेरूलाल के नाम दर्ज किये जाने व उक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर रहे। इसी प्रकार आराजी संख्या 6485/1502 रकबा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

जिला उदयपुर (राज0)

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	0.5900 है. भूमि में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 133/295 को प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार पुत्र केसरीमल के नाम दर्ज किये जाने व उक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर रहे। वादग्रस्त आराजी नं. 1502, 1503, 6486/1502, 6485/1502 में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 का कोई हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य नहीं रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested